भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 02.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

कश्मीर में हिन्दुओं पर हमले

2. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कश्मीर में मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद और जमीन क्रय करने एवं अपना व्यापार बढ़ाने के क्रम में हिन्दुओं पर हमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध्ी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) हिन्दुओं पर हुए हमलों का ब्यौरा क्या है तथा कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के पश्चात् कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर में 25 जनवरी, 2021 तक कुल 33,80,234 मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

<u>लो.स.अता.प्र.सं. 02</u>

यह भी सूचित किया गया है कि अगस्त, 2019 में संवैधानिक बदलाव किए जाने के बाद विभिन्न मकसदों से किए गए 54 आतंकवादी हमलों में 58 आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। धर्म के आधार पर चुनकर निशाना बनाए जाने के पैटर्न का पता नहीं लगाया जा सकता।

चूंकि जम्मू और कश्मीर पिछले तीन दशकों से आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है, इसलिए लोगों, विशेष रूप से असुरक्षित वर्गों के लोगों के जान और माल की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें आसूचना संबंधी जानकारियों के आधार पर उपयुक्त तैनाती, आतंकवाद के समर्थकों की पहचान और गिरफ्तारी, आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें गिरफ्तार करने/मार गिराने के लिए सक्रिय ऑपरेशन, रात में गहन गश्त और नाकों पर जांच, आदि के माध्यम से समग्र और विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। सुरक्षा बलों द्वारा नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा उच्च स्तर की सतर्कता बरती जाती है।

*****